न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 54 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

टिलसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दलपतसिंह पिता स्वर्गीय रूपसिंह जी राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. चेनसिंह पिता स्वर्गीय रूपसिंह जी राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती पुश्पाबाई पत्नी दलपतसिंह जी राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोतीसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
17–09–2019 प्रकरण संख्या 97 / 18

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री लोके ा गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धनसिंह सिसोदिया अभि.रे.सं. 1 से 3
3– श्री एम.एल. पालीवाल अभिभाशक रे.सं. 4
4– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–10–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाई में आराजी नंबर 8676 / 3906 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो सगे भाई हैं, के खातेदारी एवं आधिपत्य की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु जानबूझकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि का खातेदार नहीं है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से कानूनन चलने योग्य ही नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादी को घोशणा का अनुतोश मांगना आव यक नहीं है तथा वादी का वाद किसी भी तरह विधि बाधित नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–09–2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–11–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री धनसिंह सिसोदिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री एम. एल. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की एवं उसे न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी प्रमाणित प्रति होने से उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के आदे ा दिये जाते हैं।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के खातेदारी एवं आधिपत्य की है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में से 2/5 हिस्सा अपने छोटे भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 को दान में दी गयी है तथा अब भी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:48 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का 3/5 हिस्सा निहित है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझे बिना निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 8676/3906 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 मोतीसिंह के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं होने से वादी को स्थायी निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं मानते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। हालांकि अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में जो जमाबन्दी प्रस्तुत की है, उसमें नामान्तरकरण संख्या 2277 दिनांक 08–07–2020 से विवादित आराजी मोतीसिंह के बजाय अपीलान्ट टीलसिंह के नाम दर्ज होने की स्वीकृति हुई है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा वर्श 2018 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त अंकन वर्श 2020 का है अर्थात दावा दायरी के बाद है। ऐसी स्थिति में दावा दायरी के समय अपीलान्ट विवादित आराजी का खातेदार रहा हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से हम अपील को सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:48 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

टिलसिंह पिता स्व. भूरसिंह राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **दलपतसिंह पिता स्व. रूपसिंह राजपूत, निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**54 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी ..... गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**09**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लोके I गहलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री धनसिंह सिसोदिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:48 IST
Reason: SelfAttested